भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2487
उत्तर देने की तारीख 18.12.2023

गैर-सरकारी स्रोतों से कला और संस्कृति के लिए प्राप्त निधि

2487. श्री बृजेन्द्र सिंह :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास गैर-सरकारी स्रोतों से कला और संस्कृति के लिए प्राप्त वित्तपोषण का ब्यौरा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार कला और संस्कृति के संवर्धन में सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ) : राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) की स्थापना भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर (मूर्त और अमूर्त) को संवर्धित, संरक्षित और परिरक्षित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के अंतर्गत वर्ष 1996 में एक न्यास के रूप में की गई थी। विगत पांच वित्तीय वर्षों (2018-19 से 2022-2023 तक) के दौरान एनसीएफ ने गैर-सरकारी स्रोतों से 3.70 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों में आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए मूलभूत पर्यटक सुविधाओं जैसे कि वॉशरूम, पेयजल, पाथवे, बैंच आदि उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'एडॉप्ट ए हैरिटेज प्रोग्राम 2.0' नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है (https://indianheritage.gov.in/becomePartner)।

*****